कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

"निर्वाचन तत्काल"

सामान्य निर्वाचन जिला अशोकनगर

कार्यालय दूरभाष (07543) 225510, फैक्स 225510

E-Mail - dmashoknagar@nic.in & deoashoknagar@gmail.com

क्रमांक / सामा.निर्वा. / 2018 / 2668 अशोकनगर, दिनांक 19/09/2018

–: भोजन / स्वल्पाहार तृतीय निविदा :–

आगामी विधानसभा निर्वाचन 2018 एवं लोकसभा निर्वाचन 2019 के संचालन के दौरान जिले की तीनों विधानसभाओं से संबंधित इच्छुक संस्था / व्यक्ति से भोजन / स्वल्पाहार के लियें निविदायें दिनांक 28 सितम्बर 2018 को दोपहर 02:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र कार्यालयीन समय में कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा कार्य की धरोवर राशि 5,000/– (पांच हजार रूपयें मात्र) राष्ट्रीयकृत बैंक ड्राफ्ट जमा कराना होगा।

निविदा शर्ते एवं विस्तृत जानकारी ashoknagar.nic.in उपलब्ध है। कार्यालयीन कार्य दिवसों में दिनांक 28/09/2018 तक प्राप्त की जा सकती है। प्राप्त शीलबंद निविदायें दिनांक 28/09/2018 को सायं 04:00 बजे गठित समिति एवं निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी।

(कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आदेशित)

अपर कलेक्टर
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

पृ.क्रं. / सामा.निर्वा. / 2018 / 2669 अशोकनगर, दिनांक : 19/09/2018

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1.मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल ।

2.आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर ।

3.आयुक्त, जन सम्पर्क, जन सम्पर्क भवन, बाणगंगा रोड़ भोपाल की ओर 05 अतिरिक्त प्रतियों में संलग्न कर समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।

4.कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी समस्त जिला मध्यप्रदेश।

5.मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अशोकनगर।

6.समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अशोकनगर।

7.समस्त तहसीलदार जिला अशोकनगर।

8.समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला अशोकनगर।

9.समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी जिला अशोकनगर।

10.समस्त सचिव कृषि उपज मण्डी समिति जिला अशोकनगर।

क्रमांक 5 से 10 की ओर भेजकर लेख है कि उक्त सूचना अपने कार्यालय के नोटिस वोर्ड पर आम जनता के लियें चस्पा करायें।

11.जन सम्पर्क अधिकारी जिला अशोकनगर की ओर स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।

12.संबंधित फर्म / संस्था...

अपर कलेक्टर
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

G/s.bairagi election 2018 all nivida

:: भोजन/स्वल्पाहार निविदा की शर्तें ::

1- भोजन/स्वल्पाहार के लिए प्रत्येंक सामग्री की गुणवत्ता उपयुक्त उपलब्ध कराना होगा।
2- निविदा के साथ प्रतिभूति के रूप में रूपयें 5,000/– (पांच हजार रूपयें मात्र) का राष्ट्रीय बचत पत्र/बैंक ड्राफ्ट जो कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के नाम देय होगा। बिना प्रतिभूति राशि के निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
3- निविदा सामग्री आावश्यकता अनुसार स्वीकृति दर पर प्रदाय करने हेतु निविदाकार बाध्य होगा। सामग्री की मांग का आदेश प्राप्त होने पर सामग्री समयावधि में निर्दिष्ट स्थान पर उपलब्ध कराने का उत्तरदायितव निविदाकार का होगा।
4- निर्वाचन का कार्य रात–दिन चलेगा। अतः किसी भी समय सामग्री का मांग पत्र भेजे जाने पर मांग अनुसार सामग्री उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
5- प्रदाय की गई खाद्य/पेय सामग्री अच्छी क्वालिटी न होने की दशा में सामग्री निविदाकारों को अपने व्यय पर वापस उठाना होगा तथा निविदा तत्काल निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।
6- निविदाकार स्वीकृति की सूचना के पश्चात सामग्री निविदाकार को स्वयं के व्यय पर पहुचाना होगा। मांग पत्र के अनुसार सामग्री सप्लाई न करने की दशा में भोजन/स्वल्पाहार की सामग्री विक्रेताओं से क्रय कर ली जावेगी तथा उस पर आर्थिक क्षति की राशि निविदाकार से राजस्व वसूली की भांति वसूल की जावेगी।
7- निविदादाता का GST में पंजीयन न होने की दशा में निविदादाता श्रम विभाग में दुकान स्थापना के अन्तर्गत जीवित पंजीयनधारी होना अनिवार्य होगा।
8- निविदाकार को आयकर का पेन नम्बर/टिन नम्बर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।
9- निविदा स्वीकृत होने के बाद यदि निविदादाता द्वारा कार्य नहीं किया गया या बीच में कार्य छोड़ा गया तो उनके बाद वाले निविदादाता से कार्य कराया जायेगा तथा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।
10- निविदादाता का देयक परीक्षण एवं ऑडिट/अनुमोदन उपरांत स्वीकृत करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल द्वारा प्रदत्त आवंटन के अनुसार भुगतान किया जायेगा जिसमें किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। भुगतान करते समय शासन नियमों के अनुसार समस्त प्रकार के करों की कटौत्री की जावेगी।
11- निविदाता किसी भी संस्था/कार्यालय से ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहियें। यदि बाद में यह जानकारी मिलती है कि निविदादाता ने तथ्य छिपया है उसकी राशि राजसात कर ली जावेगी।
12- यदि सामग्री में किसी प्रकार की गुणवत्ता या खाद्य सामग्री संतोष जनक नहीं पाये जाने पर उक्त राशि निर्धारित दर में कटोत्री करने का पूर्ण अधिकार होगा।
13- कलेक्टर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। जिसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में बाद नहीं लाया जा सकेगा।
14- किसी भी वाद–विवाद में कलेक्टर अशोकनगर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
15- निविदा/स्वीकृति/अस्वीकृति करने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर को रहेगा, जिसके लियें किसी भी प्रकार के औचित्य एवं कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी।

अपर कलेक्टर
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

G/s.bairagi election 2018 all nivida

भोजन नास्ता हेतु निम्न सामग्री –

क्रं.	सामग्री का नाम	संख्या/मात्रा बजन साईज	दर
1	पोहा		
2	जलेवी		
3	समोसा		
4	कचोड़ी		
5	चाय		
6	कॉफी		
7	लंच (पुडी, आलू की सब्जी, सेव, वर्फी)		
8	मिनरल वाटर		

निविदाकार के हस्ताक्षर